...म सं0 17/2018 अनवानी नायब तहसीलदार छानीबड़ी बनाम पालुराम अपील

...कम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में ज...
	06.08.2019 नायब तहसीलदार छानीबड़ी द्वारा अपील पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ग्राम छानी बड़ी के रोही के रकबा चक 5 सीएचएन जो खसरा न0 92/0.9870, 93/1.138 तादादी 2.125 हैक्ट गैरमुमकिन जोहड़ पायतन व पाल है, जिसमें 7500 वर्गफुट भूमि पर पालुराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन छानीबड़ी ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है तथा उसने अपने अतिक्रमण वाली जगह के अप्रार्थी स0 2 से पटटा पालुराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी छानी बड़ी के नाम पटटा न 0 दिनांक 09.05. 95 तादादी 503–2/3 वर्गगज जारी करवा लिया। अप्रार्थी स0 2 ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में जारी करने का अधिकार है, परन्तु अप्रार्थी स0 1 ने तत्कालीन उपतहसीलदार छानीबड़ी से दुरभिसंधि कर राज्य सरकार को नुकसान पहुचाने की गर्ज से 7500 वर्गफुट भूमि का पटटा जारी करवा लिया है, जो विधि विरूद्व है। इस भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने पर दिनांक 24.11.14 को अप्रार्थी को अतिकमी घोषिति किया जा चुका है। अप्रार्थी स0 1 विधि विरूद्व जोहड़ पायतन व पाल की जगह पर गैर कानूनी ढग से उनके पक्ष में अप्रार्थी स0 2 द्वारा जारी किये गये तथाकथित पटटे के आधार पर अपने अतिकमण को पुख्ता करने के लिए निर्माण पर तुले हुए है व पटटे को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर अतिक्रमण हटाये जाने के सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे है, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है, इसलिए उक्त पटटा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाने का निवेदन है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.06.18 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कि गई तो अप्रार्थी द्वारा उनके पक्ष में जारी तथाकथित पटटे की प्रति दिखाते हुए कहा की आज तक खारिज नहीं हुआ है, तब प्रार्थी को उपरोक्त पटटे के प्रभाव में होने की प्रथम बार जानकारी हुई है। इस प्रकार अपील अन्दर मियाद है व न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है, एवं निगरानी राज्य हित में पेश कर रहा है। अत अपील पेश कर अर्ज है कि पटटा न0 शुन्य दिनांक 09.05.95 तादादी 7500 वर्गफुट जो पालुराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट के नाम से तादादी 503–2/3 वर्गगज पटटा जारी है, तथाकथित पटटा जो गैरमुमकिन जोहड़ की जगह में जारी है को निरस्त फरमाया जावें। अपील पेश होने पर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी स0 1 द्वारा उपस्थित होकर अपने द्वारा जवाब पेश किया गया जवाब में अंकित किया कि चक 5 सीएचएन के खसरा न0 94, 90, 91, 88, 89, 92, 93 का सीमाज्ञान उपलब्ध सर्वे चिन्हों व उपकरणों से किया अतिकमियों की सुची पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार को सौप दी तत्पश्चात पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर मुझ प्रार्थी को धारा 22 उपनिवेशन का नोटिस दिया गया जिसमें प्रार्थी ने नायब तहसीलदार छानी बड़ी द्वारा जारी पटटा दिनांक 09.05.95 की नकल पेश की जिसको नायब तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 21.11.14 में माना कि नायब तहसीलदार को जोहड़ व पाल की भूमि पर पटटा नियमन का अधिकार नहीं और नियमन आदेश को प्रभाव शुन्य मान लिया। नायब तहसीलदार छानी बड़ी के निर्णण के विरूद्व	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
...त जिला कलक्टर
...र (हनुमानगढ़)
Scanned by CamScanner

अपर जिला कलक्टर नोहर के समक्ष अपील स0 70 / 14 प्रस्तुत की अपील कि सुनवाई के दौरान ही प्रार्थी ने अपना अतिक्रमण स्वयं ही दिनांक 29.12.94 को उपखण्ड अधिकारी भादरा, नायब तहसीलदार छानीबडी, नायब तहसीलदार भादरा, पुलिस जाब्ता व सर्वदल टीम के सदस्यों के समक्ष चिन्हित स्थान दीवार व मकान तोड कर जोहड की भूमि से अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लिया था। पंचायत ने कोई पटटा जारी नहीं किया है जो पटटा नायब तहसीलदार छानीबडी ने पटटा स0 7 दिनांक 09.05.95 तादादी 503–2 / 3 वर्गगज का बनाया है वह जोहड व पाल की भूमि म नहीं आता है। सर्वदल की टीम के सदस्यों ने जो सीमाज्ञान करवाकर चिन्हित करवाया है वह क्षेत्र नायब तहसीलदार द्वारा जारी पटटा शुदा भूमि से अलग है यह गलत है कि रेस्पो0 स0 1 प्रार्थी को अतिक्रमण के लिए दिनांक 24.12.14 को अतिक्रमी घोषित किया हो बल्कि नायब तहसीलदार छानीबडी ने अपने निर्णय दिनांक 21.11.14 को चक 5 सीएचएन के 92,93 गैरमुमकिन जोहड व पाल की 7500 वर्गफुट भुमि का अतिक्रमी घोषित किया था, नायब तहसीलदार छानीबडी द्वारा जारी पटटा दिनांक 09.05.95 आबादी भूमि में स्थित हैं। खसरा न0 92,93 गैरमुमकिन जोहड की भूमि म नहीं आता है। उक्त पटटा जोहड पायतन व पाल की भूमि से अलग आबादी भुमि में स्थित है इस पटटा के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशा में ग्राम पंचायत द्वारा पटटे जारी किये गये है जिस पर प्रार्थी के मकान बने हुए है। उक्त पटटा को निरस्त करने में प्रार्थी को कोई आपति नहीं है क्योंकि यह भूमि आबादी भूमि में स्थित है जोहड पायतन व पाल की भूमि नहीं है। आबादी भूमि का पटटा जारी करने का अधिकार केवल ग्राम पंचायत को ही है। अपीलार्थी को यह आरोप उनके द्वारा दिनांक 12.06.18 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई कतई झुठ व बेबुनियादी आरोप है अपीलार्थी दिनांक 21.11.14 को भु0अ0 निरीक्षक छानीबडी के पद पर आसीन्न थे इसी दिनांक को सरकार बनाम पालुराम मुकदमा न0 97 / 14 में अतिक्रमण हटाने का उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा दिनांक 16.12.14 व दिनांक नायब तहसीलदार छानीबडी द्वारा दिनांक 10.12.14 को पालना आदेश अपीलार्थी को दिया गया था तथा दिनांक 23.12.14 को ही अपीलार्थी के समक्ष अतिक्रमण हटा लिया था। दिनांक 09.11.17 को चक 5 सीएचसी के ख0न0 92,93 में 7500 वर्गफुट जोहड़ पायतन भूमि पर मकान / नोहर बनाकर अतिक्रमण करने का नोटिस दिया जिसका जवाब 17.11.17 का प्रस्तुत किया था कि मैने कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलार्थी ने पटटा दिनांक 09.05.95 रेस्पो0 पालुराम पुत्र नत्थुराम के नाम से जारी है कतई बेबुनियाद व गलत है प्रार्थी के नाम से केवल 4533 वर्गफीट का पटटा नायब तहसीलदार छानीबडी द्वारा जारी किया गया था जो जोहड़ पायतन की भुमि मानकर जारी किया जबकि सर्वेदल टीम के सदस्यों द्वारा चिन्हित जोहड़ पायतन व पाल की भूमि के क्षेत्र में यह पटटा भूमि नहीं आती है यह आबादी क्षेत्र में आती है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, सर्वोच्चय न्यायालय व न्यायालय नायब तहसीलदार छानीबड़ी के निर्णयों का आदर करते हुए प्रार्थी ने अपना अतिक्रमण स्वयं ही हटा लिया था इसके पश्चात कोई निर्माण कार्य नही किया गया। प्रार्थी ने लोकअदालत व राजस्व कैम्प छानीबड़ी में दिनांक 01.07.15 को पटटा भूमि की नियमन राशि वापिस लौटाने का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जोहड़ पायतन व पाल के अलावा जो आबादी भूमि प्रार्थी के कब्जा में है व प्रार्थी जिसमें रिहायश कर रहा है नायब तहसीलदार छानीबड़ी द्वारा उस आबादी भूमि की निशानदेही दी जाकर ग्राम पंचायत छानीबड़ी को आदेश दिया जावें की मुझ प्रार्थी को जोहड़ पायतन व पाल की भूमि के अलावा आबादी भूमि का पटटा प्रदान किया जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार छानीबड़ी ने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर प्रश्नगत पटटा निरस्त करने का निवेदन किया। साथ ही यह भी बहस में बताया कि अप्रार्थी ने पूर्व में कब्जा स्वयं द्वारा ही ह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

लिया गया था परन्तु पुन कब्जा कर लिया है इसलिए जोहड़/पाल पर हुए कब्जा को हटाया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी का जोहड़ पायतन व पाल की भूमि पर जो कब्जा पूर्व में था वह उसने स्वयं ही हटा लिया है, उसके पास नायब तहसीलदार छानीबड़ी की मिसल न0 1 दिनांक 07.04.95 निर्णय दिनांक 09.05.95 के अनुसार 503–2/3 वर्गगज का ही पटटा है जो जोहड़ पायतन व पाल की भूमि के अलावा है, इसलिए नायब तहसीलदार छानीबडी द्वारा दिनांक 09.05.95 को जारी पटटा का नियमन किया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी चक 5 सीएचएन सम्वत 2073–2076 खाता स0 189/181 मु0न0/ख0न0 92 की 0.987 गैरमुमकिन जोहडा व मु0न0/ख0न0 93 खाता स0 182/174 गैरमुमकिन पाल की 0.139 हैक्ट भूमि की किस्म गैर मुमकिन पाल दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत इस श्रेणी की भूमि को अन्य उद्देश्य के लिए आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट(पीआईएल) स0 1554/04 निर्णय दिनांक 12.01.17 अनवान गुलाब कोठारी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य तथा डी.बी. सिविल रिट स0 1536/03 निर्णय दिनांक 02.08.2004 अनवानी अब्दुल रहमान बनाम स्टेट व अन्य में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है कि नदी नाला, वन विभाग एवं कैचमैन्ट एरिया में स्थित भूमि को अन्य किसी उद्देश्य के आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता। चुकि अप्रार्थी का कथन है कि नायब तहसीलदार छानीबड़ी द्वारा जारी पटटा दिनांक 09.05.95 आबादी भूमि मे है न कि जोहड़/पाल की भूमि में है। हस्तगत निगरानी में जो पटटा नायब तहसीलदार छानीबड़ी द्वारा दिनांक 09.05.95 को अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है वह जोहड़/पाल क्षेत्र की भूमि में है या आबादी भूमि में है इसका सीमाज्ञान उभयपक्ष की उपस्थिति में किया जाना आवश्यक है ताकि यह ज्ञात हो सके कि उक्त पटटा वास्तव में कौन सी भूमि में स्थित है। ऐसी स्थिति में राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार छानीबड़ी को आदेशित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत पटटा जोहड़/पाल भूमि पर स्थित हो तो उसका सीमाज्ञान कर स्थिति उभयपक्ष की उपस्थिति में स्पष्ट की जावें, यदि सीमाज्ञान में प्रश्नगत स्थल जोहड़/पाल की भूमि में स्थित है तो नायब तहसीलदार छानीबड़ी प्रश्नगत स्थल से कब्जा हटाने की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति तहसीलदार भादरा, नायब तहसीलदार छानीबड़ी व विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा व सरपंच ग्राम पंचायत छानीबड़ी को भेजी जावें। पत्रावली फैसला सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.08.2019 को सुनाया गया।

(अशोक असीजा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned by CamScanner